

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

80 वसन्त विहार, फेज-1, देहरादून

अधिसूचना

अगस्त 07, 2007

संख्या एफ-9(12)/यूईआरसी/2007/434 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल.टी. संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2007 (प्रधान विनियम) में संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व निर्वचन

- (1) इन विनियमों का नाम "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2007" होगा।
- (2) इन विनियमों का विस्तार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
- (3) ये विनियम, सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान विनियमों के विनियम 4 (3) के खण्ड (क) में :-

- (1) उपखण्ड (i) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
“(खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम सम्मिलित होना इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त होगा।)”
- (2) उपखण्ड (v) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्:-

“परन्तु यदि आवेदक ऊपर (i) से (v) तक सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो आवेदक से (बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के अतिरिक्त)पर क्रमशः विनियम 5 (10) में दी गयी सारिणी 1 व विनियम 5 (10) के खण्ड (iii) के अनुसार प्रतिभूति राशि का तीन गुना प्रभार लिया जाएगा। परिसर का स्वामी, यदि उपभोक्ता से भिन्न है तो, ऐसे संयोजन के लिए किसी देय के भुगतान हेतु दायी नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि प्रथम परन्तुक के अधीन आ चुके मामलों में अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति की वर्ष में दो बार, अर्थात् प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल व पहली अक्टूबर को, समीक्षा व पुनर्निर्धारण करने तथा अगले बिलिंग चक्र के विद्युत बिल में इसका समायोजन करने का अधिकार होगा।

परन्तु यह भी कि यदि उपभोक्ता नियत समय के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांगी गयी प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) के अनुसार, उपभोक्ता को तीस दिन का नोटिस देने के पश्चात् उस अवधि हेतु विद्युत आपूर्ति रोक सकता है जिस अवधि तक विफलता जारी रहती है।”

¹यह विनियम दिनांक 18.08.2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

3. प्रधान विनियमों के विनियम 5 में,

- (1) उप-विनियम (2) के पहले वाक्य में "आवेदन प्राप्ति की तिथि" वाक्यांश के स्थान पर "आवेदन प्रपत्र प्राप्ति की तिथि" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (2) उप-विनियम (7) के पहले वाक्य में वाक्यांश "पूर्ण विवरण देते हुए, आवेदन की तिथि से" के स्थान पर वाक्यांश "पूर्ण विवरण देते हुए, आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति की तिथि से" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (3) उप-विनियम (8) में वाक्यांश "यदि निरीक्षण पर यह पाया जाता है कि त्रुटियाँ दूर कर दी गयी हैं" के स्थान पर वाक्यांश "यदि निरीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पाई जाती या यह पाया जाता है कि त्रुटियाँ दूर कर दी गयी हैं" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (4) उप-विनियम (8) के अंत में वाक्यांश "पांच दिन के भीतर" के स्थान पर "आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (5) उप-विनियम (10) के खण्ड (iii) के तीसरे वाक्य में "दो माह के औसत उपभोग" वाक्यांश के स्थान पर "दो बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (6) उप-विनियम (11) के खण्ड (ख) में वाक्यांश "या बकाया देय धनराशि का शोधन, दोनों में से, जो बाद में हो" के स्थान पर वाक्यांश "या बकाया देय धनराशि के शोधन (वसूली) की तिथि या आवेदन की तिथि जो भी बाद में हो" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (7) उपविनियम (11) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा:—

स्पष्टीकरण— इस विनियम के लिए "आवेदन" से अभिप्राय है— आवश्यक प्रभारों के भुगतान व अन्य अनुपालनों को दर्शाते हुए दस्तावेजों के साथ उपयुक्त प्रपत्र में सभी तरह से पूर्ण आवेदन।

4. प्रधान विनियमों में विनियम 8 के पश्चात् विनियम 9 के रूप में निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा:—

"9. व्यावृत्तियाँ

- (1) जिस के लिए कोई विनियम नहीं बनाये गए हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।
- (2) कठिनाईयाँ दूर करने की शक्तियाँ
यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या अन्यथा, आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से सम्भवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे उपबन्ध बना सकता है, जो इन विनियमों से असंगत न हों।
- (3) शिथिलिकरण की शक्ति
आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के उसके समक्ष आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध का शिथिलिकरण या परिवर्तन, इसके कारणों का लिखित अभिलेखन करने पर, कर सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा

आनंद कुमार
सचिव